न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 117 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. फुसा पुत्र दाना	बनाम	1.बींजा पुत्र मोती
2. मूला पुत्र दाना जाति मेघवाल निवासी ईशरोल तहसील चौहटन		2.भूरा पुत्र मोती 3.खेता पुत्र मूला 4.लाला पुत्र हरचंद 5.जगू पुत्र हरचंद जातियान मेघवाल निवासी ईशरोल तहसील चौहटन।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम निर्णय बाबत्

उपस्थिति

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– **11.12.2019**

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर अपीलांट की सम्यक तामिल नहीं हुई। अपीलांट के नाम जारी सम्मन को फर्जी तौर से तामिल करवाई गई है। अपीलांट को अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी तब हुई जब रेस्पोडेंट वादग्रस्त खेत में प्रवेश करने लगे तब अपीलांट ने रोका तो रेस्पोडेंट ने कहा कि उन्होने न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया है। तब अपीलांटगण ने दिनांक 02.12.2015 को निर्णय / डिक्री की प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया, तथा दिनांक 03.12.2015 को अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2005(2) Page 1461
RRT 2017(2) HC Page 1236

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

CCC 2011(1) S.C. Page 141
DNJ(SC) 2011 Page 2019

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर तामिल पर्याप्त हो चुकी है। मामले को लंबा करने हेतु पेश किया गया। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2012 Page 277
RRT 2011(2) Page 851
DNJ(Raj.) 2018 Page 930
RRT 2017(1) Page 33

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की फर्द पर तामिल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है अपीलांट संख्या 01 का सम्मन स्वयं से तामिल करवाया गया है। अपीलांट संख्या 02 स्वयं का सम्मन पुत्र से बाद तामील है। अपीलांट द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 06 माह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों तथा रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपील मियाद के बिंदु पर खारिज करने योग्य ठहरती है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/2013 बअनवान बीजा बनाम फुसा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

11/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathu Singh Rathore
Date: 2019.12.13 16:15:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: